

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-


आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री रामचन्द्र रेगर व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि माल का खेडा, बिजोलिया, भीलवाडा जिनकी जन्म तिथि:- 01.04.1965 ने दिनांक 25.11.2021 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 28.02.2022 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है।

अतः श्री रामचन्द्र रेगर, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि माल का खेडा, बिजोलिया, भीलवाडा को राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 28.02.2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री रामचन्द्र रेगर के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

दिनांक- 16-02-2022

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा निवृत्ति/2022 / 37

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वैबसाईट पर अपलोड हेत
5. अनुभाग अधिकारी एबी/वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्मिक के वरिष्ठता क्रमांक 1925/01-02 के विलोपन की कार्यवाही के संबध में।
6. प्रधानाचार्य, राउमावि माल का खेडा, बिजोलिया, भीलवाडा
7. श्री रामचन्द्र रेगर व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि माल का खेडा, बिजोलिया, भीलवाडा
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा समाप्ति/2018


दिनांक-

कार्यालय आदेश

श्री प्रमोद कुमार शर्मा प्राध्यापक (हिन्दी) राजमावि कैलादेवी- करौली जिनकी जन्मतिथि - 27.07.1971 है, का निधन दिनांक- 29.12.2021 को हो चुका है। अतः श्री प्रमोद कुमार शर्मा प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवाये दिनांक- 29.12.2021 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री प्रमोद कुमार शर्मा, प्राध्यापक (हिन्दी) के विरुद्ध मृत्यु दिनांक तक-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-18 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2021/90
प्रतिया सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

दिनांक- 16.02.2022

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, हितकारी निधि कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु
6. संबधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी....
7. प्रधानाचार्य, राजमावि कैलादेवी- करौली
8. अनुभाग अधिकारी, एबी/वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्मिक के वरिष्ठता क्रमांक 3272-1/07-08 डीपीसी- 2016-17 के विलोपन की कार्यवाही के संबध में।
9. आश्रित स्व. श्री प्रमोद कुमार शर्मा प्राध्यापक (हिन्दी), राजमावि कैलादेवी- करौली
10. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


कार्यालय आदेश

निम्नांकित प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) का निधन उनके नाम के सामने अंकित दिनांक को हो जाने एवं स्थानीय निकाय से जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर नाम के सामने अंकित दिनांक से इनकी सेवाएं समाप्त की जाती है।

क्र. स.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	कार्मिक आई.डी.	जन्म तिथि	निधन दिनांक	सेवा समाप्ति दिनांक
1	2	3	6	7	8
1.	मोहम्मद ईस्हाक - राउमावि लूछ, रतनगढ, चूरू	RJCR199612021626	11.07.1970	21.01.2022	21.01.2022

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित उक्त कार्मिक के विरुद्ध आज तक-

- 1.राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम - 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- 2.राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।



(काना राम)

आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रा.वि./सेवासमाप्ति/2022/23
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

दिनांक: - 16/02/2022

- 1.संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग
- 2.उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग.....
- 3.संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
- 4.संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 5.संबंधित प्रधानाचार्य
- 6.संबंधित आश्रित स्वर्गीय श्री
- 7.सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिक की वरिष्ठता विलोपन की कारवाई की जानी सुनिश्चित करें।
- 9 निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर